



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54078

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2541 / 2026

भारती

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

राकेश कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

2. यह अग्रिम जमानत याचिका गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख पुलिस थाना में धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा क्राइम नंबर 847/2025 में अपीलार्थी की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत मांग रही हैं:-

(i) अपीलार्थी मृतक की पत्नी हैं।

(ii) मृतक ने आत्महत्या की थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार की उकसाहट नहीं है।

(iii) अपीलार्थी की तीन नाबालिग बेटियां हैं, जिनमें अगस्त 2025 में जन्मी एक नवजात बेटी भी शामिल है।

(iv) अपीलार्थी का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट 23 दिन विलंबित है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि मृतक की पत्नी होने के नाते अपीलार्थी ही उसकी देखभाल के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार थीं। उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मृतक को प्रताड़ित किया और उससे पैसे भी वसूले। इससे पहले भी अपीलार्थी ने मृतक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे बाद में समझौता करके समाप्त कर दिया गया था। इससे मृतक को अपीलार्थी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने का पता चलता है और इसलिए अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. मृतक की पत्नी, जो अपीलार्थी हैं, पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न आत्महत्या नोट, न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता है। पति-पत्नी के बीच विवाद प्रतीत होता है और इसी विवाद के कारण पत्नी (अपीलार्थी) ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था। पत्नी के वैवाहिक घर छोड़ने के बाद मृतक ने आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी तीन बेटियों की देखभाल करती हैं, जिनमें एक शिशु भी शामिल है, जिसकी आयु एक वर्ष से कम है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है।

7. उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपीलार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलार्थी की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. अपीलार्थी **भारती** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित पुलिस थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करे। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. अपीलार्थी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगी;

ii. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. अपीलार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;

iv. अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगी;

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

17 मार्च, 2026

ए. पांडे